भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3407

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की आपूर्ति में विलंब

3407. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में रबी की फसल के दौरान उर्वरकों की मांग और आपूर्ति महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार और उर्वरक-वार कितनी है;
(ख) क्या किसानों को चालू रबी की फसल के दौरान उर्वरकों, विशेषकर डीएपी और यूरिया की आपूर्ति में कमी और विलंब के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;
(ग) यदि हां, तो उक्त राज्यों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन के साथ-साथ आयात के माध्यम से कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और
(ड.) उक्त राज्यों सहित देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): रबी मौसम 2024-25 के दौरान राज्यों में उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही। रबी मौसम 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और मध्य प्रदेश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में उर्वरकों की मांग और आपूर्ति के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ) और (ड.): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

v. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मौसम हेतु आयात को पहले ही पूरा कर लिया जाता है।

तदनुसार रबी मौसम 2024-25 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन और आयातों के संबंध में सूचना नीचे तालिक में दी गई है।

रबी मौसम 2024-25 के दौरान उर्वरकों का उत्पादन और आयात

(आंकड़े एलएमटी में)

क्र.सं.	**उत्पाद**	**उत्पादन**	**आयात**
1	यूरिया	153.49	39.81
2	डीएपी	16.17	26.02
3	एमओपी	-	20.9
4	एनपीकेएस	63.94	11.75

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 08.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3407 के उत्तर के भाग (क) से (ग) से संबंधित है।

रबी 2024-25 के दौरान राज्यवार उर्वरकों की स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.40	12.37	9.38	2.00	2.77	2.33	0.80	1.69	1.02	9.00	12.35	9.91
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	2.54	2.17	0.25	0.44	0.36	0.28	0.52	0.29	0.35	0.44	0.29
5	बिहार	13.00	17.21	15.19	3.00	4.59	4.05	1.15	2.21	1.51	4.00	5.30	3.92
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	2.40	4.84	2.87	0.70	1.34	0.94	0.15	0.55	0.18	0.60	1.00	0.55
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.24	0.21	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
12	गुजरात	13.75	15.09	13.50	2.75	3.22	2.81	0.64	0.91	0.66	4.00	6.11	4.49
13	हरियाणा	11.20	15.28	12.59	2.60	2.89	2.74	0.30	0.49	0.21	1.20	0.97	0.68
14	हिमाचल प्रदेश	0.37	0.47	0.31	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.21	0.28	0.19
15	जम्मू और कश्मीर	0.70	1.30	0.61	0.25	0.41	0.25	0.13	0.20	0.07	0.02	0.02	0.00
16	झारखंड	1.00	2.09	1.70	0.25	0.45	0.41	0.03	0.03	0.02	0.30	0.58	0.35
17	कर्नाटक	6.50	11.05	7.62	1.74	2.74	1.99	0.65	1.83	0.98	6.30	13.16	8.73
18	केरल	0.57	0.85	0.63	0.07	0.11	0.10	0.40	0.68	0.45	0.60	0.88	0.65
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	20.00	24.89	20.52	8.00	6.97	5.90	0.60	1.15	0.64	6.00	7.18	5.04
21	महाराष्ट्र	10.00	17.20	10.88	2.50	3.32	2.51	1.00	2.31	1.10	12.00	19.34	10.45
22	मणिपुर	0.10	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.01	0.15	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.85	3.42	1.92	0.70	1.04	0.77	0.25	0.55	0.21	0.75	1.62	0.86
27	पुदुचेरी	0.09	0.09	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.07	0.05
28	पंजाब	15.00	19.47	15.30	4.50	4.24	3.86	0.50	0.73	0.37	1.50	1.29	0.97
29	राजस्थान	15.00	18.85	15.82	3.00	3.52	3.33	0.10	0.20	0.12	1.50	2.05	1.56
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.00	8.17	6.49	1.30	1.95	1.54	1.20	1.82	1.21	6.00	6.62	4.95
32	तेलंगाना	9.80	12.47	10.43	1.50	1.74	1.46	0.70	0.95	0.66	7.00	8.86	6.42
33	त्रिपुरा	0.10	0.17	0.10	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.03	0.01	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.03	1.31	1.02	0.15	0.37	0.25	0.05	0.07	0.02	0.20	0.18	0.11
35	उत्तर प्रदेश	39.00	52.73	40.18	15.00	14.51	12.49	1.25	2.01	1.28	8.50	9.40	7.08
36	पश्चिम बंगाल	8.20	12.50	9.13	1.75	2.46	1.99	1.70	2.52	1.69	7.00	9.95	6.96
	अखिल भारत	**186.89**	**254.85**	**198.81**	**52.05**	**59.18**	**50.17**	**11.95**	**21.55**	**12.76**	**77.10**	**107.72**	**74.26**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता>बिक्री

3. आंकड़े आईएफएमएस के अनुसार है